

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—::कार्यालय-आदेश::—

राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर द्वारा चयनित प्रधानाध्यापक-रामावि समकक्ष को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1/45001/आरपीएससी-18/पदस्थापन/2019/1-614 दिनांक:-16.10.2019, की संलग्न सूची में क्रम संख्या 586 पर अंकित कार्मिक श्रीमती सुमन गुर्जर को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-17 के लेवल-14 पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ-1(12)/डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20.01.2006, एफ.12(6) एफडी(नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 तथा एफ 15(1)एफ डी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानानुसार प्रधानाध्यापक-रामावि समकक्ष के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति किया गया था, कार्मिक का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	मेरिट नंबर	कार्यग्रहण तिथि	कार्यग्रहण समय	स्थाईकरण तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SUMAN GURJAR	15-09-1980	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LOTIYAS (227011)	BHILWARA	1156 (2018)	18-10-2019	मध्याह्न पूर्व	20-12-2021

उक्त कार्मिक द्वारा प्रधानाध्यापक-रामावि समकक्ष की परिवीक्षाधीन अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 22 एवं अनुसूची 5 में अंकित प्रावधानानुसार एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफ. 1(2)एफडी(रूल्स) 06पार्ट-1 जयपुर दिनांक:- 22.05.09, 15.02.2012 व 16.01.2020 में उल्लेखितानुसार उनके नाम के सामने (स्थाईकरण तिथि कॉलम-9 में) अंकित दिनांक से नवीन वेतनमान में पे लेवल-14 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की स्वीकृति एतद्वारा जारी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त उक्त तिथि से राजस्थान शिक्षा(राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के नियम-40 के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक-रामावि समकक्ष के पद पर स्थाई किया जाता है।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 23.02.2023

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/बी-1/45001/पीएससी-18/स्थायीकरण/2022/ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- 01- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
- 02- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
- 03- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जिला।
- 04- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय (माध्यमिक शिक्षा)।
- 05- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 06- संबंधित संस्था-प्रधान/कार्यालयध्यक्ष।
- 07- प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 08- संबंधित कार्मिक को सूचनार्थ।
- 09- अनुभागाधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/डीपीसी अनुभाग
- 10- निजी/रक्षित पत्रावली।

२-—१

✓ संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर